



प्रेस नोट

जनपद हमीरपुर

दिनांक 30.06.2025

अभियुक्तगण के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई

पुलिस अधीक्षक महोदया हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही/प्रभावी पैरवी के क्रम में मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा जनपद के थाना कुरारा व थाना राठ से सम्बन्धित गुण्डा अपराधी को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित/जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निष्कासित/जिलाबदर अपराधीगण अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे एवं 06 माह की अवधि तक जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करेंगे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी देंगे।

जिलाबदर किये गये अपराधियों का विवरण:-

क्र0 सं0	थाना	गुण्डा अपराधी का नाम	जिलाबदर का दिनांक	अवधि
1.	थाना कुरारा	अनुज पुत्र चुनुवाद निवासी ग्राम पतारा, थाना कुरारा, जनपद हमीरपुर	24.06.2025	06 माह
2.	थाना राठ	लखन राजपूत पुत्र हरचरन निवासी ग्राम कैंथा, थाना राठ, जनपद हमीरपुर	20.06.2025	06 माह
3.	थाना राठ	दृग सिंह उर्फ दृगपाल राजपूत पुत्र बृजपाल राजपूत निवासी ग्राम कैंथा, थाना राठ जनपद हमीरपुर	20.06.2025	06 माह
4.	थाना राठ	बीरपाल उर्फ वीरपाल पुत्र हरचरन निवासी ग्राम कैंथा, थाना राठ, जनपद हमीरपुर	20.06.2025	06 माह